CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

प्राचीन भारत में जीव–जन्तु की महत्ता

डॉ. अमित मेहता
सहायक आचार्य, इतिहास
राजकीय कला महाविद्यालय
सीकर(राज.)
सम्पर्क न.– 9461045601

First draft received: 12.07.2023, Reviewed: 18.07.2023, Accepted: 26.07.2023, Final proof received: 30.07.2023

Abstract

प्राचीन काल से मानव का अस्तित्व जीवों के अस्तित्व पर निर्भर रहा है। ऋग्वेद में जीव–जन्तुओ के साथ मानव का सम्बन्ध प्रभुत्व एवं पराभव के साथ पारस्परिक सम्मान और दयालुता का माना गया है। प्राचीन धर्मग्रथों में कुछ जीवो को देवताओं के माना गया है। प्राचीन काल में आहत सिक्कों और स्थापत्य कला के द्वारा भी जीव–जन्तुओ का महत्व प्रदर्शित होता है। प्राचीन भारतीय साहित्यों में पशु–पक्षी वध निषेध माना गया है। बौद्ध और जैन धर्म की विचारधाराओं ने जीवों के प्रति अहिंसा की अवधारणा को ओर भी प्रबल बनाया। प्राचीन भारतीय संरक्षणवादी चिन्तन ने पशुओं को मारने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दण्ड विधान निर्धारण किया था।) प्राचीन भारत में पशु संरक्षण में दण्ड विधान तथा धार्मिक चेतना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राचीन काल में जीव–जन्तुओ को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर संरक्षण दिया गया था। प्राचीन काल से ही पशुओं के प्रति दयालुता एवं सदभावना रखने का संदेश भी दिया गया है।

Keywords: पर्यावरण, पर्यावरणीय इतिहास, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, अहिंसा, संरक्षण, दण्ड विधान, राष्ट्रीय चिन्ह, शिलालेख, तोरण, वेदिका etc.

Introduction

भारत की जलवायु की विविधता के कारण जीव–जगत में अनेक विभिन्नता पायी जाती है। प्राचीन काल से मानव का अस्तित्व जीवों के अस्तित्व पर निर्भर रहा है। पर्यावरणीय इतिहास की दृष्टि से जीव पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण संतुलन में जीव–जन्तुओ का विशेष योगदान है। ऋग्वेद में जीव–जन्तुओ के साथ मानव का सम्बन्ध प्रभुत्व एवं पराभव के साथ पारस्परिक सम्मान और दयालुता का माना गया है। इसमें मानव और पशुओं दोंनो के कल्याण की कामना की गई है।[1] जीव–जन्तुओ के प्रति चिन्तन एवं सजगता वैदिक काल से बौद्धकाल तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती है। प्राचीन धर्मग्रथों में कुछ जीवो को देवीय माना गया हैं। गरूड़ (पक्षी), ऐरावत (हाथी), उच्चश्रेवा (अश्व), बासुकी, शेषनाग (सर्प), सिंह आदि को उष्ण की विभूतियॉ कहा गया है।[2] प्राचीन धर्मग्रथों में अश्व, गरूड, गौ, सिंह, हाथी, मूषक, कपि, मयुर वृषभ आदि को कमशः सूर्य, विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, इन्द्र, गणेश, हनुमान, कार्तिकेय, शिव आदि का वाहन माना गया है।[3] इस प्रकार जीव–जन्तुओ को धर्मिक संरक्षण प्रदान करके पर्यावरण संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया गया है।

प्राचीन काल में आहत सिक्कों और स्थापत्य कला के द्वारा भी जीव–जन्तुओ का महत्व प्रदर्शित होता है। आहत सिक्कों पर मिले अंकनो को मुख्य सात प्रकार से बांटा जा सकता है– (1)साधारण, (2)आयुध, (3)ज्यामिती, (4)नदी, (5)पशु, (6)पक्षी, (7)मानव।[4] आहत सिक्कों पर पशु आकृतियों में हाथी, शेर, कुबड़दार बैल, खरगोश, कुत्ता, गैंड़ा, घोड़ा, कछुआ, मेंढ़क, सर्प, वृच्छिक, मीन आदि उल्लेखनीय है। पक्षी आकृतियों में मोर का अंकन सर्वाधिक मिलता है।[5] सिंधु घाटी की तरह ही मौर्य–शुंग युग में भी पशुओं की मृण मूर्तियॉ प्राप्त होती है। अशोक ने अपने स्तम्भों के शीर्ष भाग पर सिंहों, हाथियों, अश्वों एवं वृषभ आदि की आकृतियॉ स्थापित करवायी थी। इनमें कला की दृष्टि से सारनाथ के सिंहों की मूर्तियॉ सबसे महत्वपूर्ण है। शुंग युग में भी कई स्थापित ध्वजों के शीर्ष पर सम्बन्धित देवताओं के वाहनों की मूर्तियों बनायी गयी थी। पशु–पक्षियों का सबसे अच्छा अंकन अशोक स्तम्भ, भरहुत और साँची के तोरण और वेदिकाओं पर मिलता है। तोरणों को हाथियों एवं सिंहों की मूर्तियों से सज्जित किया गया है।[6] जातक कथाओं के अंकन में कहीं जंगल में विभिन्न पशुओं को, तो कहीं शिकारियों को शिकार करते हुए तो कहीं राजाओं को हाथियों पर जाते हुए दिखाया गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्यों में पशु–पक्षी वध निषेध माना गया है।[7] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है[8] कि मानव के अत्यन्त उपयोगी पशुओं में मृग, बछड़ा, साँड़ और गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। अर्थशास्त्र में सरकारी जंगलों या ऋषियों के आश्रमों में रहने वाले मृग, गैड़ा, भैंसा, मोर तथा मछलियों को मारने पर प्रतिबन्ध लगा कर वन्य जीव–जन्तओं को संरक्षित किया गया था। अशोक के प्रथम शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने जीवों पर दया भावना से पशु–यज्ञ और पशु–मांस भक्षण की निषेधाज्ञा जारी की थी।[9] अशोक के द्वितिय शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने मानव चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा और औषधियों की उचित व्यवस्था राज्य में करवायी थी।[10] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मौर्यकाल में पशु विभाग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।[11] बौद्ध और जैन धर्म की विचारधाराओं ने जीवों के प्रति अहिंसा की अवधारणा को ओर भी प्रबल बनाया। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम् में मृगों को न मारने का उपदेश दिया है। तथा पशुओं के प्रति दयालुता एवं सदभावना रखने का संदेश भी दिया है।

धर्मशास्त्रों में मनुष्य पीड़न के साथ–साथ पशु पीड़न के अपराधों में भी दण्ड का विधान है। प्राचीन भारतीय संरक्षणवादी चिन्तन ने पशुओं को मारने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दण्ड विधान निर्धारण किया था। धर्मग्रथों में जीव संरक्षण के लिए मनु ने पशुओं को मार ड़ालने या पीटने पर उनके मुल्यो के अनुसार कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की थी। जैसे– छोटे पशुओं की हिंसा करने पर दो सौ पण, मृग या पक्षियों की हिंसा करने पर पचास पण, गघा, बकरी, भेड़ की हिंसा पर पांच मासे चाँदी का दण्ड़, कुत्ता या सुअर की हिंसा करने पर एक मासे चाँदी का दण्ड देने की परम्परा स्मृतियुग में थी। मनु ने पशुओं के स्वरूप के आधार पर दण्ड़ देने की व्यवस्था की थी।[12] याज्ञवल्क्य के मतानुसार छोटे पशुओं को मारने या उनके अंग काटने पर दो पण से आठ पण तक का दण्ड़ तथा पशु का मुल्य भी देना होता था। मुल्यवान पशुओं को क्षति पहुँचाने पर 16 पण या दुगुना दण्ड़ देने की व्यवस्था थी।[13] कौटिल्य ने भी गाय–भैंस आदि

बड़े पशुओं की हिंसा करने पर दुगुना दण्ड़ व अपराधी द्वारा पशुओं की औषधी का व्यय देने की बात की।[14] वृहस्पति के अनुसार भूखे–प्यासे भारवाहक पशुओं से बोझा ढुलवाने पर, या गाय की हिंसा करने पर प्रथम साहस दण्ड़ देने की व्यवस्था थी।[15] कात्यायन ने पालतु व अपालतु सर्प, बिल्ली, नेवला, कुत्ता या सुअर आदि के वध पर दो से बारह पण का उल्लेख किया है। यदि कोई युवा गाय अथवा देवताओं को अर्पित पशुओं से बोझा ढुलवाता था तो उसे प्रथम साहस दण्ड़ व इनकी हत्या पर सर्वोच्च साहस दण्ड देना पड़ता था।[16] प्राचीन भारत में पशु संरक्षण में दण्ड विधान तथा धार्मिक चेतना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

प्राचीन काल में जीव–जन्तुओ को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर संरक्षण दिया गया ताकि लोग इनके महत्त्व को समझ सकें। ऐसे कुछ प्रमुख जीव–जन्तुओ इस प्रकार है–

अश्व

शौर्य व साहस के कारण इसे सैन्य–शक्ति राज–शक्ति एवं राजा की सार्वभौमिकता का प्रतीक माना जाता था तथा अश्वमेघ यज्ञ के कारण इसे धार्मिक स्थान प्राप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अश्व पालन व अश्व चिकित्सा की उन्नत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।[17] कुषाण कालीन गांधार कला में बोधिसत्व सिद्धार्थ की अश्व कंथक पर सवार होकर गृहत्याग की मुर्ति में अश्व सजीव सा प्रतीत होता है।[18] समुन्द्रगुप्त के सिक्कों में अश्व की आकृति दिखाई देती है।[19]

हाथी

इनका प्रकृति आवास घना वन होता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित हस्तिवन एवं नागवन में हाथी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। मौर्यकाल की सैन्य व्यवस्था में हाथी का महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में हस्त्यध्यक्षः और हस्तिप्रचारक से सम्बन्धित वर्णन मिलता है। कार्य के आधार पर हाथियों की चार श्रेणियां दम्य(शिक्षा देने योग्य), सान्नाह्य(युद्ध योग्य), औपवाह्य(सवारीयोग्य), और व्याल(घातक वृत्तिवाला) होती है।[20] मेगस्थनीज ने भारतीय हाथियों के बारे में लिखा है कि इनकी संख्या, बल और आकार अन्य देशों के हाथियों से अधिक है। कई हाथियों की उम्र दो सौ वर्ष तक होती है।[21] शुंग काल में भरहुत स्तुप पर हाथी व अन्य पशुओं का अंकन मिलता है। नागसेन ने भिक्षुकों को हाथी के स्वभाव की तरह भिक्षा लेने के बारे में बताया है।[22] हाथी के दांत का धार्मिक और आय स्त्रोत के रूप में प्रमुख स्थान था। समुन्द्रगुप्त ने इसी उद्देश्य से अठ्ठारह वन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी।

सिंह

इनका निवास जंगल होता है। पर्यावरण के पिरामिड़ का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सिंह उच्च उपभोक्ता होने के कारण संख्या में कम होते है। वन्य जीवन सन्तुलन के लिए सिंह बहुत महत्वपूर्ण होते है। अशोक काल के सारनाथ के चोमुखे सिंहों की मूर्तियॉ सबसे महत्वपूर्ण है जिसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। अशोक कालीन स्थापत्य में बाघ देखने को नहीं मिलते जबकि स्ट्रबो ने मेगस्थनीज को श्रेय देते हुए कहा कि पूर्वी भारत की सीमाओं पर सिंह से बड़े आकार के बाघ पाए गये थे। इरफान हबीब के अनुसार बौद्ध व जैन श्रुतियों में सिंह ही प्रतीक के रूप में तथा पंचतंत्र की कहानियों में सिंह को जंगल का राजा बताया गया है।[23]

वृषभ

यह पालतु पशुओं में विशिष्ट स्थान रखता था। कृषि, यातायात, आर्थिक अवस्था के लिए उपयोग किया जाता था। इस कारण से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए गोरध्ययक्ष नियुक्त किया गया था।[24] हस्तिनापुर एवं गोपुरम के उत्खन्नों से प्राप्त बैल की अस्थियों से पुष्टि होती है कि बैल का मानवीय पर्यावरण के निर्माण में महान योगदान रहा है।[25] इसी कारण मौर्यकालीन कलाओं में इसे उच्च स्थान दिया गया है। विम कदफिसेस के सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर वृष की शिव के साथ दाहिने हाथ में त्रिशुल लिये आकृति है। आहत सिक्कों पर बैल का दायां या बायां भाग या कभी–कभी पर्वत के उपर अंकन दिखाई देता है। वृषभ को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर संरक्षण प्राप्त था।

इस प्रकार कह सकते है कि पर्यावरण के भौतिक विकास के साथ–साथ वन्य जीवों ने मानव विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत में वन्य जीवों के महत्व को समय दर समय समझा गया था। प्राचीन काल में वन्य जीवों का महत्व धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वन्य जीवों को सामाजिक, आर्थिक महत्व प्रदान करने के साथ–साथ धार्मिक मान्यताएं भी प्रदान की गयी। इसके फलस्वरूप आज भी भारतीय संस्कृति में वन्य जीव को पूज्यनीय और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

संदर्भ सूची

1. ऋग्वेद 10.37.11
2. भागवत पुराण 11.16. 15–19
3. द्विवेदी, ओ. पी., 1989, पृ. 178
4. निहारिका 2007, पृ. 224
5. पी,एल, गुप्ता, भारतीय मुद्राएं पृ, 3
6. अग्रवाल वासु, 2011, भारतीय कला, पृ. 141
7. यजुर्वेद 13. 47
8. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2.2 6.2 पृ. 206
9. पी,एल, गुप्ता 2002 प्राचीन भारत के अभिलेख, पृ. 14
10. निहारिका 2007, पृ.15, प्राचीन भारतीय पुरातत्व अभिलेख एवं मुद्राएं, पृ. 173
11. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2.29 पृ 142
12. मनुस्मृति 8/297–298
13. याज्ञवल्क्य 2/225–226, मनुस्मृति 8/286
14. कौटिलीय अर्थशास्त्र 3/19
15. वृहस्पति 21/16
16. कात्यायन, 790–792
17. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2.30 पृ. 222
18. अँगने लाल, 2008, अश्वघोष कालीन भारत, पृ 204
19. अल्तेकर, ए. एस. 1992, गुप्त कालीन सिक्कें
20. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2.3 2.1 पृ. 232
21. मिश्र, 1965, मेगास्थनीज का भारत–विवरण, पटना, पृ. 12
22. मिलिल्दपण्हो 7/4, 18–22
23. हबीब, इ. 2015 अनुवाद शुकल, मनुष्स और पर्यावरण भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास पृ. 76
24. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2.29 पृ 216
25. एनसियन्ट इण्ड़िया 10–11, 18–19, पृ. 110–115, 157